

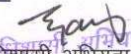
प्रपत्र- 2.2

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से सीमा तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्मित प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

ह०-

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

पुनर्वासि ज्ञाप

जिला योजना-2011-12 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/सो०यो०/सो०र०/2008-09 दिनांक 24.03.2008 एवं उप सचिव, लो०नि०वि-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11-05 (वजेट)/2011 दिनांक 10.04.2011 में निहित प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, कांग्रेस के पत्रांक 1901/जि०यो०/2011-12 दिनांक 17.08.2011 द्वारा जिला स्तरीय सड़क सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17.08.2011 को आयोजित की गई थी। जिसमें समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जमपद कांग्रेस में मार्गों के पुनर्निर्माण/पुनर्निर्माण एवं झपरीकरण तथा पुन-पुलियों के निर्माण हेतु 810.00 लाख के कार्य अनुमोदन किये गये है तदनुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रो०खण्ड, लो०नि०वि० कांग्रेस में इसे गौटन मार्गों के निर्माण एवं झपरीकरण कार्य हेतु 310.32 लाख के कुल 102 कार्यों के लिए प्रारम्भिक आमरण प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस कार्यसिद्धि को सफल करवाया गया है।

जिला नियोजन एवं अनुवर्णन समिति की रिपोर्ट एवं शासनादेश सं० 205/XXVII (1)/2009 दिनांक 25.03.2009 तथा संवत् शासनादेश सं० 1905/11(2)/11-05(वजेट)/2011 दिनांक 10.04.2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा तकनीकी समिति द्वारा आमरण की अंतिम संपादन सलाह सं० में उल्लिखित कुल 102 कार्यों के लिए उनके आगे अंकित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति इस बात के अतीत प्रदान की जाती है, कि स्वीकृति कार्यों के लिए अलग-अलग विस्तृत आमरण सतिह कर एवं उस पर सम्बन्ध अधिकारी के प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के संपादन शासन द्वारा अनुमोदित धनराशि की सीमा तक ही कार्य किया जाये।

इस सम्बन्ध में जिले वाला चयन वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-22 लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूजीगत परिवर्धन-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-000-अन्य व्यय-01 जिला योजना-00-24 तहत निर्माण कार्य के नामे अला जायेगा।

संपरोक्त जिला योजना में उल्लिखित 102 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11-05(वजेट)/2011 दिनांक 10.04.2011 में दी गयी अन्य बातों का पूर्ण अनुपालन किया जाय एवं कार्यों की वित्तीय/प्राविधिक प्रगति सिमांतुसार शासन को सफल करवायी जाय।

(सीपक शेख)

जिलाधिकारी, कांग्रेस

1. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अधिक, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. प्रमुख, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

[illegible]

1057

क्र.सं.	कर्म का नाम	अंश
42	कमेडीदेवी से चोनाला हनुमान मन्दिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी	100
43	मयू भुवने मोटर मार्ग का विस्तार खड़कुका ना तारी तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी	100
44	कपकोट-शामा मोटर मार्ग के प्रांगण झोपड़ा से खेवदार तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी	100
45	बेसा-मंडोडा (जायसी) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जोरती से तोली मूलमाथसण मंदिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी	100
46	वागेश्वर-धरमधर मोटर मार्ग के जतागामी से हॉस्पिटल तक 500मी (वनभूमि में)	100
47	वागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग के किमी 16 चुंडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए गुरु ओखतदार तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी	100
48	असी-बराकुना मोटर मार्ग से वेडा मित्तन मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी	100
	योग	1000
	प्रमाणित	1000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सहायक अभियन्ता
महाराष्ट्र सरकार
पर्यावरण विभाग

[Handwritten signature]
पर्यावरण विभाग
महाराष्ट्र सरकार

सहायक अभियन्ता
महाराष्ट्र सरकार
पर्यावरण विभाग